12

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– /VIII/20–91(श्रम)/2008टीसी–1

देहरादूनः दिनाँकः 28 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

वैश्विक महामारी कोविड–19 के फैलाव के कारण उत्पन्न लॉक–डॉउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं/दवाईयों की आपूर्ति के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा दी गयी अनुमतियों एवं राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को खोलने की सशर्त अनुमतियों के मामलों में कारखानों को अतिकाल (Over Time) कार्य करने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 एवं सुसंगत नियमों में आकस्मिक परिस्थितियों में शिथिलता की आवश्यकता है।

अतएव कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए Public Emergency के दृष्टिगत कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों को अधिनियम, 1948 की धारा–51, 54, 55 तथा 56 में शिथिलता निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. प्रतिदिन 11–11 घण्टे की दो पालियों में कार्य किया जा सकेगा तथा दो पालियों के मध्य एक घण्टे का अन्तराल होगा। इस प्रकार 3 घण्टे प्रतिदिन ओवरटाईम कार्य अनुमन्य होगा, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
2. दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में अधिकतम 6 दिवस कार्य करेंगे और ओवरटाईम की अधिकतम सीमा 18 घण्टे प्रति सप्ताह होगी।
3. यह अधिसूचना मात्र उन उद्योगों पर जिन्हें राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा कोविड–19 के प्रभाव की स्थिति के दृष्टिगत संचालन की अनुमति दी गयी हो, पर लागू होगी। उद्योगों को राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा 01 अप्रैल, 2020 के बाद सेनिटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों तथा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
4. अतिकाल की शिथिलता का प्रयोग करने के निमित्त किसी भी नियोक्ता द्वारा छटनी नहीं की जायेगी।
5. यह अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगी तथा तीन माह तक प्रभावी रहेगी।
6. कोरोना वाइरस (कोविड–19) की रोकथाम के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 40–3/2020–DM–I(A) दिनांक 15.04.2020, पत्र संख्या 40–3/2020–DM–I(A), दिनांक 16.04.2020 एवं पत्र संख्या 40–3/2020–DM–I(A) दिनांक 19.04.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं भविष्य में कोरोना वाइरस (कोविड–19) की रोकथाम के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत किये जाने वाले निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन समस्त उद्योगों/प्रतिष्ठानों/विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

Uo esi

Scanned with CamScanner

संख्याः– 286 /VIII/2020– 91(श्रम)/2008टीसी–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. श्रमायुक्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः -- /VIII/20-91(श्रम)/2008 टी.सी.-1
देहरादूनः दिनांक 05 मई, 2020

अधिसूचना/संशोधन

वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव के कारण उत्पत्र लॉक-डॉउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं/दवाईयों की आपूर्ति के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा दी गयी अनुमतियों एवं राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को खोलने की सशर्त अनुमतियों के मामलों में कारखानों को अतिकाल (Over time) कार्य करने हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Public emergency के दृष्टिगत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों को उक्त अधिनियम की धारा 51, 54, 55 तथा 56 में कतिपय शर्तों के अधीन अधिसूचना संख्या 286/ /VIII/20-91(श्रम)/2008 टी.सी.-1 दिनांक 28 अप्रैल 2020 द्वारा शिथिलता प्रदान की गई थी।

सम्यक विचारोपरांत उक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 28.04.2020 में निम्नानुसार संशोधन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों में उत्पादन इकाई हेतु प्रतिदिन 12-12 घंटे की दो पालियों में कार्य किया जा सकेगा, जिसमें 04 घंटे प्रतिदिन ओवरटाइम के होंगे, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
2. इन दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में अधिकतम 06 दिवस कार्य करेंगे और ओवरटाइम की सीमा प्रति सप्ताह 24 घंटे होगी।
3. किसी दिन में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।
4. उक्त अधिसूचना पूर्व में जारी अधिसूचना की तिथि से ही मान्य होगी।

उपरोक्त संशोधन मात्र अविरल प्रक्रिया (continues process) वाले कारखानों पर ही प्रभावी होगा। वर्णित अधिसूचना दिनांक 28.04.2020 की अन्य शर्ते यथावत।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव

संख्या-294 /VIII/20-91(श्रम)/2008 टी.सी.-1 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. श्रमायुक्त उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव

लेख पत्र